

an>

Title: Regarding arbitrary fee increase by private schools in the country.

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जन सामान्य की पीड़ा को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सीबीएसई एफिलिएटेड करीब 18,700 स्कूल हैं। इन स्कूलों पर न तो राज्य सरकार और न ही सीबीएसई का नियंत्रण है। इसका परिणाम यह है कि प्राइवेट स्कूल और संस्थान दो हजार से लेकर दस हजार रूपए तक प्रति माह फीस वसूल करते हैं। इसके अतिरिक्त डोनेशन के नाम पर एक लाख रूपए ले लिया जाता है। यह सब तो है ही और साथ में कॉपी, किताबें, जूते आदि एक ही निश्चित दुकान से खरीदने को विवश किया जाता है। जो आंकड़े आए हैं, इसमें केवल मध्य प्रदेश में करीब 2000 करोड़ के कमीशन की हेराफेरी हो सकती है। अगर पूरे देश में इस नजर से देखा जाए तो करीब 50,000 करोड़ का केवल खरीदी की कमीशन का मामला है, जो अभिभावकों को उठाना पड़ता है। सुविधाओं के नाम पर आरओ का पानी तक बच्चों को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। मासूम बच्चों को इतने भारी बस्ते के साथ एक लीटर पानी की बोतल भी उठानी पड़ती है। यह सीबीएसई स्कूलों की स्थिति है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि नियंत्रण न होने के कारण एक अलग तरह की कसमसाहट और पीड़ा समाज में है। शिक्षा के नाम पर बाजारीकरण और व्यावसायिकरण किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि एक नियामक संस्था बनाई जाए और दिशानिर्देश जारी किए जाएं ताकि सीबीएसई स्कूलों द्वारा जो तूट मची है और जो नियंत्रणहीनता स्कूलों के नाम पर आ गई है, समाप्त हो सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the matter raised by Prof. Chintamani Malviya.